मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

हेल्पलाइन नं.: 1800–111–400 काल सेंटर नं.: 1950 वेबसाइटः www.ceodelhi.gov.in

दिल्ली विधानसभा चुनाव – 2015

सार्वजनिक सूचना

उम्मीदवारों / राजनीतिक दलों / प्रिंटिंग प्रेस आदि द्वारा पैम्पलेट, पोस्टर की छपाई पर पाबंदी

एतद्द्वारा सभी संबद्ध पक्षों को सूचित किया जाता है कि चुनावी पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई तथा प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी तरह के चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर की छपाई या प्रकाशन नहीं कर सकता या छपाई या प्रकाशित नहीं करवा सकता है:–

(i) जिसमें सामने की ओर प्रिंटर एवं प्रकाशनकर्ता का नाम और पता नहीं दिया गया हो

(ii) प्रकाशनकर्ता की पहचान के तौर पर घोषणापत्र, जिसमें उनका हस्ताक्षर हो एवं दो व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित हो, जिसे वो निजी तौर पर जानता है, की प्रतिलिपि उसने प्रिंटर को न दी हो

(iii) उपयुक्त अवधि यथा दस्तावेज की छपाई के तीन दिनों के अंदर, प्रिंटर द्वारा घोषणापत्र की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली या जिला मैजिस्ट्रेट के पास, जैसा भी मामला हो, न भेजा गया हो।

इस उद्देश्य के लिए, हाथ द्वारा प्रति बनाने को छोड़कर, किसी दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया छपाई समझी जाएगी और तदनुसार ''प्रिंटर'' के समतुल्य समझा जाएगा। चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर का मतलब, कोई छपी हुई पैम्पलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज है, जिसका उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह के प्रचार या चयन में पक्षपात के उद्देश्य से वितरण किया गया हो अथवा कोई प्लेकार्ड या पोस्टर, जिसमें किसी चुनाव का संदर्भ हो, है।

किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन करना दंडनीय है, <u>जिसमें अधिकतम छह महीने की कैद के साथ अधिकतम दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।</u>

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार संदर्भ भी आमंत्रित है, जिसके अनुसार किसी उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन में शामिल खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च के खाते में जोड़ा जाएगा, का उक्त धारा के तहत निर्वाह करना आवश्यक है।

आगे, आईपीसी की धारा 171H खर्च के उत्तरदायित्व के साथ साथ, उम्मीदवार के प्राधिकार के बगैर, उम्मीदवार के चयन हेतु प्रचार या उपार्जन के उद्देश्य से विज्ञापन, सर्कुलर या प्रकाशन को निषेध करता है। ऐसे में, चुनावी समय के दौरान प्रिंट मीडिया में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में किसी तरह के विज्ञापन / चुनावी विषयवस्तु के मामले में, प्रकाशनकर्ता का नाम एवं पता विषयवस्तु / विज्ञापन के साथ दिया जाना चाहिए।

यह सभी संबद्ध पक्षों खासकर राजनीतिक दलों / उम्मीदवारों / प्रिंटिंग प्रेस के दिशानिर्देश तथा जन साधारण को उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों द्वारा पोस्टर, पैम्पलेट आदि की छपाई से संबंधित कानून के कृते प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए जारी किया जा रहा है।

ह0/–

अति. मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली

DIP/1946/2014-15